क्रम-संख्या–78

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०/91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2009
फाल्गुन 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 499/79-वि-1-09-1(क)4-2009
लखनऊ, 28 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2007 का निरसन

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2007) विपिन खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के संरक्षण, विकास, सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए प्रबंधन बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की वैधता को रिट याचिका संख्या 6169 (एम/बी) सन् 2008 में नेशनल एलायन्स आफ प्यूपिलस मूवमेंट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में चुनौती दी गई है। उक्त अधिनियम के उपबंधों का परीक्षण करने के पश्चात् महा अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि वह उक्त अधिनियम को निरसित कर दे और उक्त अधिनियम के उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् नया विधायन लाए। न्याय विभाग का भी यही मत था। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाए।

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 499(2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka) 4-2009
Dated Lucknow, February 28, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal (Nirsan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 27, 2009 :-

THE UTTAR PRADESH DR. BHIMRAO AMBEDKAR SAMAJIK PARIVARTAN STHAL (REPEAL) ACT, 2009

(U. P. ACT NO. 9 OF 2009)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Act, 2007.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title — 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal (Repeal) Act, 2009.

Repeal of U.P. Act no. 43 of 2007 — 2. The Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Act, 2007 is hereby repealed.